प्रेषक,

संख्या:5/ 162/12-5-2014-32/2014

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)01/ वित्तीय स्वीकृति 2014-15, दिनांक 02.04.14 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषि विभाग की विभिन्न आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक-क के अनुसार निम्नवत धनराशि रू0 2180629 हजार (रूपये दो अरब अट्ठारह करोड़ छः लाख उन्तीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । इसमें से रू0 507 हजार (रू0 पॉच लाख सात हजार मात्र) भारित मद की धनराशि भी सम्मिलित है :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2014-15	लेखा अनुदान की अवधि (अप्रैल,14 से जुलाई,14) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म मतदेय आयोजनेत्तर	4578507	1526170
भारित	1500	500
2402-मृदा तथा जल संरक्षण मतदेय आयोजनेत्तर	1910761	636922
भारित	20	07
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा आयोजनेत्तर	51098	17030
कुल योग मतदेय	6540366	2180122
भारित	1520	507
महायोग	6541886	2180629

(रूपये दो अरब अट्ठारह करोड़ छः लाख उन्तीस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का व्यय उल्लिखित मदों पर न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर समस्त औपचारिक्तायें नियमानुसार पूर्ण कराते हुए वित्त (आय-व्ययक) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/14, दिनांक 14.03.14 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

3- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जायेगा तथा जहॉ कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जाये ।

5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययिता संबंधी आदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

6- कृषि विश्वविद्यालयों हेतु व्यवस्थित धनराशि उनको आवंटित की जाय तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा बनाया जायेगा, जो कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा । कृषि विश्वविद्यालयों के लिये कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशक को सूचित करेंगे ।

7- बी0एम0-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी तीन प्रतियों में शासन के कृषि अनुभाग-5 को उपलब्ध कराया जाय ।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.14 में प्रदत्त प्रतिनिहित अधिकारों के परिपालन में निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव ।

संख्या- 162(1)/12-5-2014, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, कोषागार , उ0प्र0, लखनऊ ।

5- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

6- कुलपति, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0 ।

7- संबंधित जिलाधिकारी ।

8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- कृषि अनुभाग-2/3 एवं कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग ।

11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in